

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नागौर में राजकीय चिकित्सालय, डीडवाना का मुख्य चिकित्सा अधिकारी (पीएमओ) 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाश जारी

जयपुर, 28 जूलाई, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा आज डीडवाना में कार्यवाही करते हुये इन्द्रराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजन का एपेन्डिक्स का ऑपरेशन करने की एवज में इन्द्रराम रणवां मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के सुपरवीजन में एसीबी नागौर इकाई के पुलिस निरीक्षक श्रीमती सुशीला विश्नोई के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये इन्द्रराम रणवां पुत्र श्री बालूराम रणवां निवासी खिचड़ों की ढाणी, बानूड़ा, पुलिस थाना दातांरामगढ़, जिला सीकर हाल मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना जिला नागौर को परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।